

न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ० गौरव रौनी

तारीख रज्यू- 01/10/24

अपील संख्या 24/24

1. बृजवासी पुत्र सुरजानसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम खेड़ली तहसील बागनवास।
-अपीलार्थी

बनाम

-रेरपोडेन्ट

1. सरकार जरिये तहसीलदार बागनवास।
निर्णय

दिनांक 07/11/2024

उपस्थित


1. अधिवक्ता भानु कुमार सिंघल - अपीलार्थी पक्ष
2. परोकार सरकार - रेरपोडेन्ट पक्ष

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार बागनवास द्वारा गिराल संख्या 06/2024 में पारित निर्णय दिनांक 24.09.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम खेड़ली के आराजी ख०नं० 08 रकबा 0.15 है० किस्म वंजड पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से वेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शारित आरोपित करने के दण्ड से एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.09.2024 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं विधि के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पटवारी हल्का से जिरह का कोई अवसर नहीं दिया और गलत तरीके से कार्यवाही की है जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमणी मानने में भारी कानूनी भूल की है। प्रार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमणी की श्रेणी में नहीं आता है। पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थी को वास्तविक रूप से भौतिक रूप से कब्जे से वेदखल किया गया है। उक्त वाद आराजीयात मौके पर विल्कुल खाली है। परन्तु पटवारी हल्का ने गलत ढंग में अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा पटवारी हल्का से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 29.10.2024 के अनुसार भी अतिक्रमणी (अपीलान्ट) बृजवासी के द्वारा ख०नं० 8 के अतिक्रमणी क्षेत्र पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण व तारबन्दी नहीं है व मौके पर उक्त खसरा नं० खाली है। साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का खसरा प्रदान करने तथा अतिक्रमणी आराजी पर अपीलार्थी का अतिक्रमण पाये जाने के


21/11/24

पेशवात की अपीलार्थी निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अतिरिक्तता के पेशवात की अपीलार्थी नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

के पेशवात यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समस्त पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी को विरुद्ध अतीवार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी अतीवार होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पेशवातवर्ती नौका रिपोर्ट दिनांक 29.10.2024 के अनुसार भी अतिकमी (अपीलान्ट) बृजवासी के द्वारा खंनो 8 के अतिकमी क्षेत्र पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण व तारबन्दी नहीं है व मौके पर उक्त खरारा नं० खाली है लेकिन अपीलार्थी द्वारा भविष्य में उक्त आराजी पर पुनः अतिक्रमण किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए अपीलार्थी को भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से इस निर्देश के साथ स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी एक शपथ पत्र इस आशय का "अपीलार्थी भविष्य में उक्त आराजी पर अतिक्रमण नहीं करेगा एवं यदि वह अतिक्रमण करता है तो उसके बाद होने वाली समस्त कार्यवाही का वह स्वयं जिम्मेदार होगा" इस निर्णय से 15 दिवस के अन्दर न्यायालय तहसीलदार वागनवासा में एवं प्रति इस न्यायालय में पेश कर देता है तो अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त माना जावे अन्यथा सिविल कारावास की सजा यथावत मानी जावे। शेष आदेश शारित, वेदखली व फराल निलामी को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07/11/2024 को लिखाया जाकर सुले न्यायालय में सुनाया गया।
(डॉ० गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी